हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 10 अंक : 4 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अप्रेल, 2019

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई रोक

हजारों पदोन्नतियॉ फिर अटकी

नई दिल्ली। देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर प्रमोशन में आरक्षण विषय पर यथास्थिति के आदेश दिये है। इससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का पदोन्नति का सपना 15 अक्टूबर 2019 तक फिर लटक गया है। जस्टिस एस.ए.बोबडे और अब्दुल नजीर की बैंच ने कुल 84 याचिकाओं से जुड़े केस पर सरकार का रूख सुनने के बाद ये आदेश दिये।

पिछले साल सितम्बर में बहुत चर्चित पांच सदस्यीय बैंच ने एम.नागराज केस पर आये निर्णय का पुनरीक्षण पॉच जजों की बैंच ने ही करके पदोन्नति के लिए आंकड़ों के आधार पर पिछड़ेपन को प्रमाणित करने की शर्त को हटा दिया था जबकि सकल प्रशासनिक दक्षता और संख्यात्मक रिप्रेजेन्टेशन की दो शर्तों को वैसा ही रखकर यह भी निर्णय दिया था कि ओबीसी की ही तर्ज पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचिज जनजाति के लिए भी क्रीमिलेयर लागू की जावे ताकि प्रमोशन में आरक्षण को न्यायसंगत बनाया जा सके।

इसी को आधार मानकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जरनेल सिंह के केस में नवम्बर माह में यह निर्णय दिया कि सरकार प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तीन महिने में कार्रवाई करे।

इसी तरह के अन्य मामलों को लेकर केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँची और अटार्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल ने कहा कि तीन महिनों में हाईकोर्ट के आदेश की पालना संभव नहीं है क्योंकि सरकार के सभी विभागों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एडिक्रेट रिप्रेजेन्टेशन के आंकड़े जुटाने होंगे। इस पर कर्मचारियों के वकीलों क्रमश राजीव धवन और कुमार परिमल ने कहा कि यह एकदम स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूरा किये बिना प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

अदालत में प्रदेश सरकारों की तरफ से वकीलों ने कहा कि इस सारे विरोधाभास के चलते हजारों पदोन्नतियॉ रूकी पड़ी है अत: पूरे मामले की शीघ्र सुनवाई की जावे।

सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने महाराष्ट्र, त्रिपुरा व अन्य राज्यों के मामले में दिये गये यथास्थिति के निर्णयों का हवाला देते हुए शीघ्र सुनवाई से इन्कार कर दिया और यथास्थिति बहाल रखते हुए अगली सुनवाई 15 अक्टूबर, 2019 निर्धारित कर दी गई।

ये है मामला

* सितम्बर - संवैधानिक बैंच ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है लेकिन ओबीसी पर लागू क्रीमिलेयर का सिद्धान्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर भी लागू किया जाए।

* जनरेल सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट ने नवम्बर में निर्देश दिये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू किये जाए।

* हाईकोर्ट के इस निर्णय को चुनौति देने के लिए केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा कि तीन महिने में इसे लागू किये जाना संभव नहीं है।

''स्टॉल आवंटन मामला '' रेलवे की कैटरिंग में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर। रेलवे की कैटरिंग नीति के तहत स्टॉल आबंटन के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू करने के मामले में आइआरसीटीसी के सीएमडी से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। वहीं रेल मंत्रालय, उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक व मंडल रेल प्रबंधक को जवाब के लिए समय दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश गोवर्धन बाढदार की खण्डपीठ ने सुरेन्द्र कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि रेलवे की कैटरिंग नीति 2017 में स्टॉल आबंटन में 49 प्रतिशत से अधिक आरक्षण कर दिया है। संविधान के अनुच्छेदइ 19 में सभी को ट्रेड और व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है। इस कारण रेलवे की स्टॉल आबंटन में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता।

याचिका में आग्रह किया गया है कि रेलवे की कैटरिंग नीति के तहत स्टॉल आबंटन में आरक्षण के लिए जोड़ा गया प्रावधान रद्द किया जाए। रेल मंत्रालय, उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक व मंडल रेल प्रबंधक ने केविएट दायर कर रखी थी। इन तीनों पक्षकारों की ओर से जवाब के लिए कोर्ट से समय मांग लिया गया। इस याचिका पर जवाब के लिए कोर्ट ने आइआरसीटीसी के सीएमडी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री को अभिनन्दन ज्ञापन देते समता आन्दोलन पदाधिकारी

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री को सौंपा अभिनन्दन ज्ञापन

जयपुर। 20 अप्रेल। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जयपुर प्रवास पर आये। इस अवसर पर समता आन्दोलन के पदाधिकारियों ने समय मांग कर उनसे शिष्टाचार भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किये और एक अभिनन्दन ज्ञापन सौंपा।

मुख्यमंत्री को सौंपे गये ज्ञापन में उत्तराखण्ड में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किये जाने की सराहना करते हुए यह निवेदन किया गया है कि पदोन्नति की इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को किसी भी सूरत में पुन: लागू नहीं होने देंगे ताकि लोक प्रशासन को जातिवादी वैमनस्यता से बचाया जा सके।

अध्यक्ष की कलम से

''समतावाद जितना है, देश को श्रेष्ठ बनाना है।''

लोकसभा चुनावों के लिए मन्थन मनन के बाद समता आन्दोलन की कोर कमेटी सभी समतावादियों से आह्वान करती है कि देश में पूर्ण बहुमत से मोदी जी की सरकार बनवाने के लिए हर सम्भव प्रयास करे।

भाजपा के पाँच वर्ष के शासन में (1) पदोन्नति में जातिगत आरक्षण की अन्यायपूर्ण व्यवस्था सम्बन्धी 117वें संविधान संशोधन को लोकसभा में पेश ही नहीं करना; (2) अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को सशक्त और अधिक उपयोगी बनाने के लिए 102 वाँ संविधान संशोधन करना तथा क्रीमिलेयर अधिसूचना की समीक्षा हेतु हाईपावर कमेटी बैठाना; (3) आर्थिक कमजोर वर्ग को आरक्षण लाभ देने के लिए 103 वाँ संविधान संशोधन करना; (4) तीन तलाक अधिनियम लाना; (5) भ्रष्टाचार व कर चोरी रोकने को नोटबंदी व जीएसटी लाना; (6) आतंकवाद की जड़ों पर वार करना; (7) सभी वर्गों के विकास के लिए जाति-धर्म से ऊपर उठकर अनगिनत योजनाएँ चलाना आदि समतावादी और राष्ट्रवाद के साहसपूर्ण कार्य हैं। इसी प्रकार इनका घोषणापत्र पूरे देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके राष्ट्र को सशक्त और कर्मठ बनाने की योजनाओं पर केन्द्रित है।

दूसरी ओर कांग्रेस के घोषणापत्र में (1) पदोन्नति में आरक्षण की अन्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए संविधान संशोधन का वादा करना; (2) जम्मू कश्मीर की समस्या को हमेशा बनाये रखने के लिए फौज के अधिकार कम करने, एएफएसपीए कानून को कमजोर करने तथा धारा 370 एवं 35ए को बनाये रखने का वचन देना (3) पूरे देश में देशद्रोहियों को प्रोत्साहन देने के लिए देशद्रोह कानून को खत्म करने का वादा करना (4) देश के पाँच करोड़ गरीब परिवारों के 25 करोड़ मतदाताओं के वोट बटोरने के दुराशय से सरकारी फण्ड से प्रतिवर्ष 72000/- रूपये की रिश्वत देने का वचन देना आदि बातें वहीं पुराने ढर्रे पर जाति, धर्म और भ्रष्टाचार के आधार पर देश को गुमराह करने वाली राजनीति है।

कार्यशैली और घोषणापत्रों की उपरोक्त संक्षिप्त झलक से स्पष्ट है कि जहाँ एक और राष्ट्रनिर्माण और सशक्तीकरण हेतु मोदीजी दिनरात लगे हुए है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस किसी भी तरह जाति, धर्म, गरीबी या स्थानीय मुद्दों के आधार पर सत्ता हासिल कर देश को पुन:कमजोर करने, भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा देने तथा वंशवाद को बचाकर प्रजातंत्र को अप्रासंगिक करने को प्रयासरत है। निर्णय हम सब का है।

इसीलिए समता आन्दोलन ने राष्ट्रहित में ये सार्वजनिक आह्वान करने का निर्णय किया है कि:-

''समतावाद जितना है, देश को श्रेष्ठ बनाना है।

समता आन्दोलन के 12वें स्थापना दिवस की सभी राष्ट्रवादियो को हार्दिक बधाई

सम्पादकीय

सुप्रीम कोर्ट जै जै

दुनिया भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन को लोकतंत्र का पहला परिभाषक माने लेकिन, तथ्य बताते हैं कि धरती पर गणतंत्र के रूप में त्रेता युग से चाणक्यकाल तक भारतभूमि लोकतंत्र की पालन और पोषक रही है। इक्ष्वाकु वंशीय राम को मर्यादा पुरूषोत्तम का जो विरुद प्राप्त है उसके बीज उनके पूर्वज महाराज मनु ने अपने नीति ग्रंथ 'मनुस्मृति' में रोपित कर दिये थे। वहीं बीज आज दुनियॉ के प्रायः सभी देशों के संविधान का मूल है। वस्तुतः राज्य को बनाना तो आसान हो सकता है पर उसको चलाने के लिए विधि की आवश्यकता होती है।

राज्य की विधि व्यवस्था का विस्तार आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के अर्थशास्त्र में और ज्यादा व्यावहारिक और पुष्ट बनी। उस प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन इतिहास तक विधि का मतलब केवल राजा के वचन तक सीमित रहा। फिर राज्य की ग्राम पंचायतों, जमींदारों, रियासतदारों के माध्यम से राजा का वचन ही शासन हुआ करता था और न्याय का आधार भी। जैसा कि प्राकृतिक नियम है। सभी जड़-जंगम की गति नीचे की तरफ होती हुई अवसान को प्राप्त करती है। इसी क्रम में राजा के वचन के स्थान पर लिखित विधि का शासन धीरे-धीरे देश-दुनियॉ का स्थाई समाधान बन गया।

आज पूरी दुनिया लिखित विधि की व्याख्या पर आधारित होकर चल रही है। यूँ तो लोकतंत्र के चारों खम्भों में खास और स्थाई ''विधि'' का शासन माना गया है लेकिन विधायिका, कार्यपालिका, प्रेस से ऊपर 'विधि' अग्निशिखा की तरह पवित्र और प्रकाशमान है। यदि मात्र एक पंक्ति में कहना चाहें तो- ''विधि' की अनुपस्थिति में हर प्रकार की सत्ता मात्र भेड़िया है।'' इस तथ्य को हम सभी प्रकटतः देखते हैं और मानते भी हैं। हमारे देश में न्याय के तंत्र पर बेशक जाति आरक्षण की काली छाया मंडराने लगी है। लेकिन फिर भी 85 प्रतिशत हालात अभी भी विधिसम्मत हैं।

वर्तमान में चल रहे लोकसभा चुनावों में अभद्र भाषा और अमर्यादित टिप्पणियों ने जब देश को व्यथित और पीड़ित कर दिया व चुनाव आयोग जैसी शक्तिशाली संवैधानिक संस्था भी मेमने की तरह दुबकी नजर आने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोड़ा फटकारे मात्र उसके आभास से चुनाव आयोग को इतनी ताकत दे दी कि उसने आनन-फानन विधिक कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मंत्री आजमखान को 12 घंटे और केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को 48 घंटे के लिए हर प्रकार की चुनाव सक्रियता से रोक दिया।

अब मूल प्रश्न ये आता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट को ही देश भी चलाना पड़ जाये तो लोकतंत्र के शेष तीन खम्भों की आवश्यकता ही क्या है? विशेषकर यदि सरकारी मशीनरी खुद काम न करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की ही प्रतीक्षा करती (जैसा कि हो रहा है) रहेगी तो व्यवस्था के स्थान पर जंगलराज आने में कितना समय लगेगा? परंतु इससे भी बड़ा खतरा ये है कि सरकारी मशीनरी न केवल अकर्मण्य हो रही है बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी कर रही है। सभी को याद है कि 2006 में एम नागराज का निर्णय आया उसे सरकारी मशीनरी ने बार-बार नहीं गिना। अन्ततः पांच जजों की पीठ के निर्णय को पॉच जजों की पीठ ने ही ''रीविजिट'' (?) करके उसके 66 प्रतिशत हिस्से को पुनः प्रमाणित किया लेकिन सरकारी नौकरशाही ''वही ढाक के तीन पात'' पर अटकी खड़ी है।

पता नहीं यह सुखद है या निराशाजनक कि 130 करोड़ जनता की आशा का केन्द्र मात्र सुप्रीम कोर्ट बचा है। देश ये भी देख रहा है कि कैसे स्वयंम केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखने का प्रयास करती है फिर भी न्याय की यह सर्वोच्च पीठ तथ्यों के आधार पर अपने फैसलों पर नये सिरे से सुनवाई को भी तैयार हो जाती है। परंतु याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमा है। उस सीमा में सिमटकर भी वह यदि विधि और न्याय को बचा पा रहा है तो कहना ही होगा- सुप्रीम कोर्ट जै जै ।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

उच्चतम न्यायालय ही बचा सकता है लोकतंत्र

चुनाव होने जा रहे है, जनता असमंजस की स्थिति में है। क्या करें, किस पार्टी को अपना मतदान करें? किस उम्मीदवार को अपना आदर्श माने? कौन अपने सपनों का भारत बना सकता है? क्या उसका उम्मीदवार आपराधिक प्रवृति का है? क्या वह सजा भोग रहा है अर्थात जेल में है? वह धर्मान्त तो नहीं है? क्या वह उसके लिए अच्छा कानून बना सकता है? क्या उसकी प्रवृति का रहस्य रिश्वत का मूल मंत्र तो नहीं है? क्या वह जातिवाद का पक्षधर है? क्या वह देश की आजादी के 65 साल बाद भी अपने को पिछडा बतला रहा है, जबकि उच्च पद पर शासन चला रहा है। ऐसे सैकडों प्रश्न बिना किसी उत्तर के उसके सामने खड़े हैं।

इन सारे प्रश्नों के उत्तर वह कहां तलाश करे। वह तो चौराहे पर खडा है, किस ओर कदम बढा कर आगे बढे, उसे पता नही है। आज जनता को थोडा बहुत विश्वास है तो वह न्यायालय पर है और सर्वोच्च न्यायलय के ऊपर उसकी निगाहे है। सर्वोच्च न्यायालय के समझ में आ चुका है, शासन भ्रष्ट है। न्यायपालिका भी अछूती नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपने ऐतिहासिक निर्णयों से जन-जन के विश्वास को बनाये रखा है।

ऐसा विश्वास बना हुआ है, न्यायालय को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार केवल विधायिका के क्षेत्र का है, जो संविधान ने दिया है। यदि हम संविधान का विश्लेषण करें, तो हमें कई अनुच्छेदों की सही व्याख्या करनी होगी। अनुच्छेद 141, 142 व 144 की ओर विशेष ध्यान देना होगा। अनुच्छे 141 स्पष्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। निर्णय को देश का कानून माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय यह स्पष्ट करता है, यदि सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा है, तो अधिनियम को उद्देशिका से प्रेरणा लेकर परिवर्तित किया जा सकता है। कानून को अधिकार शून्य घोषित कर, न्यायालय नया कानून ही तो बनाता है। अनुच्छेद 142 घोषणा करता है इस देश का न्यायालय सम्पूर्ण न्याय के हेतु प्रचलित कानून से भी दूर जाकर, ऐसा कर सकता है। अनुच्छेद 144 सभी सिविल व न्यायिक अधिकारों से यह अपेक्षा करता है कि वे सब न्यायालय के निर्णयों को अंगीकार कर क्रियान्वयन करें। कई निर्णय ऐसे है जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जहां कानूनी व्यवस्था नहीं है अर्थात कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो न्यायालय अपने विवेक से न्याय हेतु निर्देशन दे सकता है, ऐसा निर्णय कानून ही माना जावेगा। सावधानी केवल इतनी ही अपेक्षित है कि न्यायालय का आदेश ऐसा नहीं हो जो संविधान के प्रावधान के विपरीत हो। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में इसे स्पष्ट किया है कि उसे कानून बनाने का अधिकार है, अन्तर इतना है कि न्यायालय का निर्णय कानून की मान्यता रखता और देश के लिए मान्य है, वह प्रभावकारी है, वहीं विधायिका कानून संसद, विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है और इसकी वैधानिकता को भी सर्वोच्च न्यायालय प्रमाणित करता है यदि अवैधानिकता पाई जाती है तो उसे अल्ट्रावाइरिस अर्थात अवैध घोषित कर दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलखनाथ, केशवानन्द भारती, मेनका गांधी आदि के केसेज में कहा है कि अनुच्छेद 32, 141, 142 इस प्रकार की भाषा में अभिव्यक्त किये गये है जो लीगल डाक्टरीन को सृजन करने में सहायक है जो वस्तुतः कानून ही है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हॉक्स व लॉर्ड रेड, लॉर्ड डिनिंग ने स्वीकार किया है कि न्यायाधीश भी कानून बनाते है।

इन निर्णयों में स्पष्टता के साथ स्वीकार किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को कानून बनाने का अधिकार है। इस पुरानी धारना को आज सही नहीं आंका जाता कि न्यायाधीश कानून नहीं बनाते।

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव की सुचिता के लिए संसद, विधानसभा के सदस्यों के आचरण की प्रमाणिकता के लिए दो निर्णय दिये हैं। आपराधिक कानून के तहत सजा प्राप्त आरोपी विजयी होने के बाद भी अयोग्य हो जावेगा, वह सांसद नहीं रहेगा, उसे अपील करने से भी कोई राहत नहीं मिलेगी और जेल में रहते हुये व्यक्ति को चुनाव में खडे होने की सक्षमता नहीं होगी। इस प्रकार हमारी संसद, विधानसभा आपराधिक प्रवृति के लोगों से मुक्त हो सकेगी, जिनके लिए आज यह माना जा रहा है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में वे लोग शामिल है, जो अपराधी है। कानून अब उनके लिए ही नहीं जनता की भलाई के लिए बनेगा।

यह अवश्य है, इन निर्णयों को लागू होने से राजनैतिक पार्टियॉ झूठे मुकदमे चला कर किसी प्रतिद्वन्दी को फंसा सकती है, जेल भिजवा सकती है, किन्तु इससे निपटने के लिए कई उपाय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी अपना अभिमत दिया है कि चुनाव सभाओं में धार्मिक प्रचार निषेध है यह एक चुनाव अपराध है।

चुनाव कानून में मत का लाभ लेने के लिए रिश्वत देना अपराध है, प्रलोभन देना अपराध है, एक दुराचरण है और ऐसी कई घटनाएँ पाये जाने पर चुनाव में जीतने के बाद भी उस व्यक्ति का चुनाव निरस्त किया जा सकता है उसे छः साल के लिए चुनाव लडने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह कानून चुनाव के समय की बात करता है। प्रश्न यह है कि यदि राजनेतिक पार्टिया मत हासिल करने के लिए गरीबी मिटाने का नारा देकर मत प्राप्त करना चाहती है, तो क्या ये आचरण प्रलोभन नहीं है। कई राज्यों में नकद राशि, लेपटॉप, टीवी और न जाने क्या-क्या वस्तुएँ मतदाता को लुभाने के लिए दी जा रही है यह क्या है? क्या ये प्रलोभन नहीं है? क्या ये चुनाव को प्रभावित करने वाला कार्य नहीं है? क्या ये प्रलोभन के वितरण, आचरण शुद्धता व सुचिता का मापदण्ड हो सकता है? फिर इस प्रवृति पर रोक क्यों न लगे?

कथित राजनैतिक पार्टियों और उनके नेताओं ने मतदाताओं को घूस का नया तरीका अपनाते हुये भविष्य के रंगीन सपने दिखाने शुरू किये है जो शुद्ध रूप से आर्थिक प्रलोभन में आते है। एक दल ने 72000 रूपये गरीबों को सालाना देने की बात अपने घोषणापत्र में कही है तो दक्षिण की एक पार्टी ने प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रूपये सालाना देने की बात अपने घोषणा पत्र में कही है। क्या ये प्रलोभन नहीं है? क्या ये चुनाव को प्रभावित करने वाला कार्य नहीं है? क्या ये प्रलोभन के वितरण, आचरण शुद्धता व सुचिता का मापदण्ड हो सकता है? फिर इस प्रवृति पर रोक क्यों न लगे?

यहीं पर न्यायालय की भूमिका शुरू होती है और ये सुखद संयोग है कि 72 हजार रूपये सालाना की घोषणा करने वाली पार्टी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एम. नागराज एवं अन्य केसेज में स्पष्ट किया है जो व्यक्ति पिछडेपन का लाभ लेते रहे हैं उनके जो व्यक्ति क्रिमिलेयर में आ चुके हैं वे अब पिछड़े नहीं हैं। उन्हें पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षित सीट से चुनाव लडने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये।

इस प्रकार समय आ चुका है सर्वोच्च न्यायालय को अधिक सक्रिय होकर बहुत कुछ करना है। जनता की अपेक्षाएँ, सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णयों से बढ गई है। यह क्रम चालू रखना ही होगा। नई संसद व विधान सभा में कोई दागी व्यक्ति नहीं जा पावे। सांसद का सदाचारी होना पढा लिखा होना अनिवार्य होना चाहिये, जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य दिये हैं उनके प्रति निष्ठा रखने वाला हो। जनतंत्र में न्यायाधीशों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे निर्णयों का खुल कर स्वागत करना चाहिये। जय गणतंत्र।

- सदर्भ कक्ष

कांग्रेस के स्वर में समता के बोल

जयपुर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों बड़ी पार्टियों के घोषणापत्रों में से कांग्रेस के घोषणापत्र ने एकबारगी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सांसे ऊपर-नीचे करदी थी। पार्टी ने ये घोषणा की है कि सत्ता में आये बाद में वो पदोन्नति में आरक्षण को फिर चालू करेगी। लेकिन 20 अप्रेल को आकाशवाणी जयपुर से कांग्रेस का जो चुनाव प्रसारण हुआ उसमें प्रवक्त प्रणव झा ने सभी अटकलों पर विराम लगा समता की भाषा बोलते हुए कहा कि पार्टी ऐसी योजनाओं पर काम करेगी जिससे ''वास्तविक दलितों और वास्तविक पिछड़ों का भला हो सके''।

पौराणिक कथन : 'अर्चा' (प्रतिमा)

विष्णु के पूजन का यह विधान त्रेता युग में भी था। भागवत के अनुसार तब अर्चा स्वर्ण, रजत की होती थी।

असमंजस में सभी खड़े हैं,
बदचलनी के खेल बड़े हैं।
अफसर करते लीपा-पोती,
सच पर भारी झूठ पड़े है।।

कविता

हिंसा का संकट गहराया

वो कहते हैं खूब रूलाया,
ये बोले हैं गोद खिलाया,
संविधान ने उनकी मानी-
निर्दोषों को बहुत सताया।
साल सैकड़ों सही गुलामी,
भारत माँ थी करूण कहानी,
सन सैंतालीस हंसी मिलि जब-
गरम-नरम ने हाथ मिलाया।
पहली बार सन पचास में,
संविधान के नव प्रकाश में,
सबने मिल संकल्प लिया तब-
भारत जन खुल के मुस्काया।
सभी जात के हरकारों ने,
स्वार्थ के लंबरदारों ने,
देश-धर्म की बात भूलकर-
जातिवाद का दंश लगाया।
तब से अब तक भारत माता,
बन न सकी जन भाग्य विधाता,
वे लंपट बन नाच रहे हैं-
हिंसा का संकट गहराया।
जागो भारत देश के वासी,
कल के हित न बनो उदासी,
शस्त्र उठाओ वोट चोट का-
जातिवाद को करो पराया।
वो कहते हैं खूब रूलाया,
ये बोले हैं गोद खिलाया,
संविधान ने उनकी मानी-
निर्दोषों को बहुत सताया।

- प्रदीप सिंह -

आरएएस भर्ती 2018 के परिणाम पर रोक जारी, सरकार की अपील खारिज

जयपुर। आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा के परिणाम पर रोक हटाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने पर परिणाम जारी करने के लिए प्रार्थनापत्र पेश करने की छूट दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश गोवर्धन बाढदार की खण्डपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है।

दिसम्बर 2018 के पहले सप्ताह में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुरज्ञान व अन्य की याचिका पर आरएएस भर्ती-2018 में सामान्य वर्ग की कटऑफ से अधिक अंक वाले अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने को कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरएएस भर्ती 2016 और पटवारी भर्ती को लेकर भी समान विषय पर सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी, जिसमें कहा था कि राज्य में आरएएस अधिकारियों की कमी है, ऐसे में रोक हटा दी जाए। एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माथुर ने राज्य सरकार की अपील का विरोध करते हुए कहा कि अधिकारियों की कोई कमी नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद अपील खारीज कर दी।

आरक्षण अर्थात योग्यता एवं गुणवत्ता का ह्रास

गतांग से आगे:-

''योग्यता अथवा गुणवत्ता कोई मंत्र नहीं है, जो गुरू अपने शिष्य के कान में बता दे।'' यह माननीय न्यायाधीश की झिड़की है। लेकिन यह कहा किसने कि मंत्र है?

एक और यथार्थवादी सोच, जो पहले की तरह ही 'आवश्यक रूप से' पर आधारित है। 'प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लेने से ही कोई आवश्यक रूप से अच्छा प्रशासक नहीं सिद्ध हो सकता।' इसके साथ ही, यह भी सच है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करनेवाले अभ्यार्थियों को प्राय: प्रवेश से वंचित रह जाना पड़ता है और अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी आसानी से प्रवेश पा लेते हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ एक प्रश्न उठता है। यदि गैर अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्राप्त किया जानेवाला अंक इतना ही महत्वहीन है तो अनुसूचित जाति/जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को आरक्षण कोटे के अंतर्गत कैसे रखा जाता है ? आखिर, एक निश्चित बिंदु पर अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को भी तो प्रवेश से वंचित किया जाता है-केवल इसी आधार पर कि वे परीक्षा में आवश्यक अर्हता अंक प्राप्त नहीं कर पाते। ये न्यायाधीश जब यह कहते हैं कि आरक्षण के कारण कुशलता अथवा गुणवत्ता का स्तर नीचे नहीं गिरेगा, तो वे स्वयं ही यह भी तो कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अखिर, यह कड़ी प्रतिस्पर्धा इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में तो हो सकती है, जिसमें प्रत्येक अभ्यार्थी की योग्यता की एक ही कसौटी होती है- उसके द्वारा प्राप्त किया गया अंक। क्या इस मनमाने नियम के माध्यम से हम स्वयं को एक अच्छे प्रशासन के लाभ से वंचित नहीं कर रहे हैं?

न्यायमूर्ति चित्रप्पा रेड्डी भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के चलते इसी धारणा का अनुसरण कर रहे हैं-''हर कोई मानता है कि एक कुशल प्रशासक वही होता है, जिसमें अन्य गुणों के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को भली-भाँति समझने तथा उनका सहानुभूतिपूर्वक हल निकलने की क्षमता किसमें हो सकती है ?'' क्या माननीय न्यायाधीश ऐसे कुछ उदाहरण दे सकते है, जिसमें इस कमजोर वर्ग से निकलकर आए किसी अधिकारी ने अपने इस कमजोर वर्ग के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो? उत्तर प्रदेश तथा बिहार के उन अधिकारियों को लें, जो आरक्षण कोटे के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं। वे भी तो अन्य सभी की तरह भ्रष्ट और स्वार्थी ही निकले हैं। इन्हीं राज्यों में और साथ ही अन्य राज्यों के भी राजनेताओं को लें, जो इन कमजोर वर्गों के मसीहा बनकार सत्ता में आए। माननीय न्यायाधीश को उपर्युक्त बात किसी एक मामले में भी उपयुक्त नहीं बैठती।

> हम स्वयं से ही क्यों नहीं पूछते कि पचास वर्षों से चली आ रही आरक्षण को व्यवस्था के बाद भी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की स्थिति इससे ज्यादा क्यों नहीं सुधर सकी ?

''हम स्वयं से ही क्यों नहीं पूछते कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पैंतीस वर्ष बाद भी अनुसूचित आदि जातियों की स्थिति में कोई बड़ा सुधार क्यों नहीं आ सका है ?'' यह माननीय न्यायाधीश का प्रश्न है। वैसे तो सच यही है कि स्थिति में सुधार आया है। लेकिन माननीय न्यायाधीश की ही बात लेकर चलते हैं। आखिर वह स्वयं से ही क्यों नहीं पूछते कि पचास वर्षों से चली आ रही आरक्षण को व्यवस्था के बाद भी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की स्थिति इससे ज्यादा क्यों नहीं सुधर सकी? माननीय न्यायाधीश आगे प्रश्न करते हैं-''क्या यह स्वयं में एक वैध प्रश्न नहीं है कि यदि इन वर्गों से और अधिक संख्या में

> यदि प्रशासकों की नियुक्ति और पदोन्नति जाति के आधार पर न करके योग्यता के आधार पर की जाती तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों सहित सभी वर्गों की स्थिति उनकी वर्तमान स्थिति की अपेक्षा बेहतर, बहुत बेहतर होती।

सदस्यों को जिला, राज्य व केंद्र स्तर के प्रशासन में नियुक्त किया गया होता तो स्थितियाँ भिन्न होतीं ? अब, माननीय न्यायाधीश के इस प्रश्न का क्या यह अर्थ नहीं निकलता कि यदि प्रशासकों की नियुक्ति और पदोन्नति जाति के आधार पर न करके योग्यता के आधार पर की जाती तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों सहित सभी वर्गों की स्थिति उनकी वर्तमान स्थिति की अपेक्षा बेहतर, बहुत बेहतर होती । और, यदि पूरे प्रशासनिक ढाँचे का संचालन नौकरी और पदोन्नति के मामले में अधिकार-प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि कार्य, योग्यता तथा प्रदर्शन के आधार पर किया जाता तो क्या समस्त सामाजिक वर्गों की स्थिति बेहतर नहीं होती ?

योग्यता या कुशलता का इस प्रकार निरूपण करने के बाद माननीय न्यायाधीश अपने भाषण-मार्ग में थोड़ा सा परिवर्तन करते दिखाई देते हैं, लेकिन शब्दों का चयन बड़ी सावधानीपूर्वक करते हैं। जी हाँ, वह कहते है, ''हमारा कहने का तात्पर्य केवल यही है कि हमें इस योग्यता का अंध-श्रद्धालु नहीं बनना चाहिए....। अत: हम यह बिल्कुल नहीं कहते कि योग्यता की बात महत्वहीन है। हमारा कहने

> यदि पूरे प्रशासनिक ढाँचे का संचालन नौकरी और पदोन्नति के मामले में अधिकार-प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि कार्य, योग्यता तथा प्रदर्शन के आधार पर किया जाता तो क्या समस्त सामाजिक वर्गों की स्थिति बेहतर नहीं होती ?

का तात्पर्य यही है कि उच्च वर्गों को इस योग्यता के नाम पर सेवाओं, विशेषकर उच्चपदों और व्यावसायिक संस्थानों, पर अपना एकाधिकार स्थापित नहीं करने दिया जाना चाहिए। समस्या की जड़ तक पहुँचने क लिए हमें अपनं मन में बैठे कई प्रकार के भ्रमों को निकालना होगा। समानता स्थापित करने के लिए हमें अपनी निष्ठा और अपने विश्वास को नहीं, बल्कि अपने भ्रमों को दूर करना चाहिए। समानता की दिशा में प्रयास करना मनुष्य के लिए एक गौरवशाली कार्य है।''

यानी बात यह है कि योग्यता, गुणवत्ता की बात करनेवाले किसी व्यक्ति को पहले यह सिद्ध करना होगा कि वह इस योग्यता या गुणवत्ता का अंध-श्रद्धालु नहीं है। वह सेवाओं और व्यावसायिक संस्थाओं पर उच्च वर्ग के एकाधिकार को मजबूत और स्थायी नहीं बना रहा है; और दूसरी ओर, जो योग्यता को अंध-श्रद्धा का विषय बता रहा है तथ इसे उच्च वर्ग के लिए अपने एकाधिकार को बनाए रखने का एक माध्यम बता रहा है, वह स्वाभाविक रूप से वंचित वर्ग की बात ही कर रहा है।

इस प्रकार, योग्यता और गुणवत्ता की बात करने वाला अभी भी भ्रम में है। उसका मन जाल में उलझा हुआ है। वह स्वयं को मनुष्य के गौरव तक नहीं पहुँचा सका है।'' हर मामले के निर्णय में इसी तरह के तर्क दोहराए जाते रहे हैं। हाँ, समय-समय पर उसमें एक-दो नए उद्धरण जरूर जोड़ दिए जाते हैं। इंद्रा साहनी मामले में न्यायमूर्ति पी.वी. सावंत ने अपनी पूरी शक्ति से इस तर्क का खंडन करने की कोशिश की है कि आरक्षण के कारण गुणवत्ता अथवा कुशलता प्रभावित होगी। पं. नेहरू की पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' से एक अनुच्छेद उद्धृत करते हुए वह अपनी टिप्पणी शुरू करते है, जिसमें पं. नेहरू ने लिखा है- अत: न केवल सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए, बल्कि पिछड़े वर्गों को शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष अवसर भी दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें आगे बढ़ चुके लोगों तक पहुँचाया जा सके। भारत में सभी के लिए समान अवसर का द्वार खोल देने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह होगा, जो आश्चर्यजनक ढंग से देश की काया-पलट कर सकती है।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

अपील

''समता प्रकाश'' स्मारिका हेतु विज्ञापन

समता आन्दोलन भारत का सबसे बडा समतावादी गैर-राजनेतिक संगठन है, जो एक दशक से भारतीय संविधान के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करवाने, सभी नागरिकों को समानता का मूल अधिकार दिलाने,जातिवाद-सम्प्रदायवाद, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से देश को मुक्त कराने के लिए सभी संवैधानिक प्रयासों को अपनाते हुये प्रजातांत्रिक रूप से क्रियाशील है। समता आन्दोलन न केवल राजस्थान अपितु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में भी जाति आधारित व्यवस्था से अलग समता मूलक समाज की संरचना के लिए काम कर रहा है।

समता आन्दोलन समिति अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में अपनी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' का प्रकाशन करने जा रही है। इस स्मारिका में आरक्षण एवं समतावादी अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी, न्यायिक निर्णयों की जानकारी तथा समता आन्दोलन की 11 वर्षों की गतिविधियों की जानकारी समाहित की जावेगी। इस स्मारिका को राजस्थान सहित कुल 10 राज्यों में 5000 से अधिक प्रतिष्ठित एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों को भेजा जावेगा। इस स्मारिका को समता आन्दोलन की वेबसाइट जिसको देखने वालों की संख्या (viewership) 5.00 लाख से अधिक हो चुकी है, पर भी स्थाई रूप से अपलोड किया जावेगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' के लिए अपनी फर्म/ कम्पनी/संस्थान का विज्ञापन देने का अनुग्रह करे। विज्ञापन दरें इस प्रकार है:-

1	मुख्य कवर का पृष्ठ भाग एवं अन्तिम कवर का बाह्य भागरू.	2,50,000/-
2	अन्तिम कवर का अन्दरूनी भाग रू.	1,50,000/-
3	स्मारिका के अन्दर चिकना पूरा पृष्ठ रू.	1,00,000/-
4	स्मारिका के अन्दर चिकना आधा पृष्ठ रू.	50,000/-
5	स्मारिका के अन्दर चिकना चौथाई पृष्ठ रू.	30,000/-
6	स्मारिका के अन्दर सामान्य पूरा पृष्ठ रू.	50,000/-
7	स्मारिका के अन्दर सामान्य आधा पृष्ठ रू.	25,000/-
8	स्मारिका के अन्दर सामान्य चौथाई पृष्ठ रू.	15,000/-

स्मारिका का आकार ए-4 निर्धारित किया गया है

विज्ञापन एवं विज्ञापन सामग्री के प्रारूप हेतु हमारे प्रान्तीय कार्यालय ''जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर जयपुर या पी.एन.शर्मा, जयपुर मोबाइल नम्बर 9460385722, कैप्टन गुरविन्दर सिंह, नई दिल्ली मो.न. 9999555726, धर्मवीर सिंह, हरियाणा मो.न. 9355084877, गिरजेश शर्मा, उत्तर प्रदेश 9412445629, धीरज जे. पंचाल, गुजरात मो.न. 9428600409, अशोक शर्मा, मध्यप्रदेश मो.न. 7552576022, वैंकटरमण कृष्णमूर्ति, कर्नाटक मो.न.9538966339, श्रीराम पंसारी, चण्डीगढ मो.न. 9876127663, सी.एम.डिमरी, उत्तराखण्ड मो.न. 9411103390, संजीव शुक्ला, मुम्बई मो.न. 9821390321 या ई-मेल samtaprakash2019@gmail. com पर सम्पर्क कर सकते है। **कृपया चैक/ड्राफ्ट समता आन्दोलन समिति के नाम बनवायें।**

हमें विश्वास है कि आपका दिया हुआ विज्ञापन इस राष्ट्रवादी समता आन्दोलन द्वारा चलाये जा रहे समता मूलक समाज की संरचना के सफल प्रयासों में सहयोग का कार्य करेगा।

समता ओबीसी प्रकोष्ट भी सक्रिय

ओबीसी वर्गीकरण और क्रीमिलेयर संशोधन की मांग

पिंकसिटी प्रेस क्लब में पत्रकारों को सम्बोधित करते ओबीसी प्रकोष्ठ पदाधिकारी

जयपुर। समता आन्दोलन समिति का ओबीसी प्रकोष्ठ भी सक्रिय हो गया है। रहमान खान ने प्रान्तीय अध्यक्ष बनते ही सभी संभागों में अपनी कार्यकारिणी बनाते हुये पिंकसिटी प्रेस क्लब जयपुर में प्रेस कांफ्रेस करके मांग की है कि आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानदण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर भी लागू किये जाने तथा ओबीसी को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाए।

प्रकोष्ठ ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को लिखे ज्ञापन में निवेदन किया है कि भारत सरकार एवं संसद द्वारा संविधान संशोधन के जरिये आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जो पांच मानदण्ड (8 लाख +चार शर्तें) तय किये गये हैं वे बेहद सूझबूझ, समतावादी और राष्ट्रवादी भावना के आधार पर तय किये गये हैं। इन मानदण्डों के आधार पर यदि ईमानदारी से आर्थिक कमजोर वर्ग को पात्रता प्रमाणपत्र जारी किये जाते हैं तो निश्चित रूप से अनारक्षित वर्ग के केवल 20 से 30 प्रतिशत वास्तविक गरीब और पिछड़ों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा और तथ्यात्मक रूप से जातियाँ अप्रासंगिक हो जायेंगी।

ज्ञापन में मांग की गई है कि ओबीसी वर्ग में जो क्रीमिलेयर सिद्धान्त लागू किया गया है उसके लिए केन्द्र और राज्यों की सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनाएँ इतनी पेचिदा और मूर्ख बनाने वाली हैं कि ओबीसी वर्ग में केवल 1 प्रतिशत से भी कम व्यक्ति क्रीमिलेयर श्रेणी में आ रहे हैं।अत: आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए जो मानदण्ड केन्द्र सरकार द्वारा तय किये गये हैं वे सभी मानदण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में भी ज्यों के त्यों लागू किये जाएं।

दूसरी मांग की गई है कि आजकल राजस्थान में सामान्य वर्ग की बहुतायत सीटों पर ओबीसी के लोग चयनित हो रहे हैं। लगातार ओबीसी के कट-ऑफ मार्क्स सामान्य वर्ग से ज्यादा जा रहे हैं। इसके कारण ओबीसी आरक्षण का विरोध बढ़ रहा है। इसरानी आयोग की रिपोर्ट एवं आईडीएस संस्थान की रिपोर्ट में ये खुलासा किया जा चुका है कि ओबीसी की सूची में शामिल 35 जातिवर्गों का एक भी व्यक्ति सरकारी नोकरी में नहीं है, केवल चार-पाँच सशक्त जातिवर्ग ही ओबीसी का पूरा आरक्षण हड़प रही हैं। समता आन्दोलन की याचिका सं0 1645/2016 के निर्णय दिनांक 09.12.2016 में राजस्थान उच्च न्यायालय भी ओबीसी वर्ग से 4-5 सशक्त जातियों को बाहर करने की हिदायत दे चुका है। प्रदेश के ओबीसी आयोग की नौंवी रिपोर्ट में भी प्रदेश के ओबीसी वर्ग को तीन भागों में बाँटने की सिफारिश की जा चुकी है। दुर्भाग्य से वोट-राजनीति के चलते ये सिफारिश या हाईकोर्ट की हिदायत नहीं मानी जा रही है। यदि ये ओबीसी आयोग की सिफारिश, हाइकार्ट की हिदायत और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों के अनेक निर्णयों में दिये गये ओबीसी आरक्षण की पाँच वर्षीय समीक्षा के निर्देशों की पालना की गयी होती तो प्रदेश में अब तक ओबीसी वर्ग के वास्वविक पिछड़ों को लाखों रोजगार मिल चुके होते। अत: ओबीसी आयोग की नौंवी रिपोर्ट को तत्काल स्वीकार करते हुए प्रदेश में ओबीसी वर्ग का तीन भागों में वर्गीकरण करने की कृपा करें। ताकि देश हित एवं गरीब पिछडों के उत्थान का उद्देश्य पुरा किया जा सके एवं वास्तविक रूप से गरीब, पिछड़े एवं कमजोर जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके।

ओबीसी प्रकोष्ठ में चम्पालाल परिहार अजमेर, प्रीतम सैन बीकानेर, योगेश योगी भरतपुर, मो. इमरान खान जयपुर, वीरेन्द्र सिंह जोधपुर, पवन कुमार कोटा एवं आनन्द पुर्विया उदयपुर संभाग के अध्यक्ष बनाये गये है।

सवर्ण आरक्षण के लिए अचल सम्पत्ति व फैमिली अकाउंट स्टेटमेंट जरूरी

जयपुर। केन्द्र ने आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था तो लागू कर दी लेकिन आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आमजन को इतने चक्कर काटने पड़ रहे है कि लोग प्रमाणपत्र ही नहीं बनवा पा रहे है। आर्थिक पिछड़े वर्ग का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए 14 दस्तावेज जरूरी है। चल-अचल सम्पत्ति के विवरण से लेकर, इनकम टेक्स रिटर्न और परिवार के सभी सदस्यों के बैंक खातों का विवरण जरूरी किया है। फार्म में अचल सम्पत्ति की जानकारी के साथ स्वयं प्रमाणित दस्तावेज भी संलग्न करना होगा। एस.सी.-एसटी और ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए ऐसे किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। ऐसे में सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों के सामने इतने दस्तावेज पेश करना ही चुनौती बना हुआ है। परिवार के पास फ्लैट है तो उसके बिल्ट-अप और सुपर बिल्ट-अप एरिया की जानकारी भी जरूरी है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार का नियम है कि आठ बीघा से कम कृषि भूमि, एक हजार स्क्वायर फीट से कम साइज का फ्लैट, शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज से कम साइज का प्लाट, ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज तक मकान होने पर ही इसके दायरे में होगा।

समता आन्दोलन का बारहवां स्थापना दिवस

जयपुर। होली मिलन के बहाने समता आन्दोलन की कौर कमेटी की बैठक आन्दोलन के प्रदेश मुख्यालय पर हुई। इसमें अब तक की गतिविधियों पर चर्चा करने के साथ आगामी लोकसभा चुनावों पर भी गंभीर मंथन के बाद यह विचार किया गया कि समता आन्दोलन अपनी निरपेक्षता बचाये रखते हुये केवल उस पार्टी को सहयोग करेगा जो समता आन्दोलन के उद्देश्यों को पूरा करते हुये दिखाई देगी।

बधाई। ग्यारह बार बधाई। समता आन्दोलन के सभी विधिवत सदस्यों, सहयोगियों और सदभावी सदस्यों को मन प्राण से बधाई है कि इसी ग्यारह मई को देश का ये अनूठा, शांतिप्रिय और संविधानिक संभावनाओं पर सतत सक्रिय समता आन्दोलन अपने सफल ग्यारह साल पूरे करके बारहवें साल में प्रवेश कर रहा है।

मूलत: सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के पदोन्नति में आरक्षण के छोटे से मुद्दे को लेकर चला ये संकल्प आज पूरे देश में जाति आधारित आरक्षण को न्यायसंगत बनाने के लिए काम करने वाला पूरे देश में एकमात्र संगठन है जो संस्थागत रूप से काम कर रहा है।

जाति आधारित आरक्षण के साथ एट्रोसिटी के कई केस भी सेटल करवाये हैं तथा आम चुनावों की शुचिता बनाये रखने के लिए भी लगातार सक्रिय है। किसी भी आन्दोलन को चलाना और वो भी संगठन के रूप में एक कठिन प्रक्रिया है। विशेषकर सरकारों की आंख में ये संगठन सदा रड़कते हैं। लेकिन समता आन्दोलन ने शुरू से ही ''न काहू से दोस्ती न काहू से बैर'' के आदर्श को अपनाया और केवल संवैधानिक मुद्दों तक सीमित रखा।

किसी संकल्प को परिणाम आधारित बनाये रखना ऐसे शोर्य के शिलालेख है जिन्हें वर्तमान ने देखा है और भविष्य याद रखेगा। मसलन दिल्ली के संसद मार्ग पर भारत देश में सरकारी कर्मचारी - अधिकारियों का सबसे बड़ा धरना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राजस्थान बुलाकर सम्मानित करना ऐसे काम हैं जो ''भूतो न भविष्यति'' की श्रेणी में आते है।

समता आन्दोलन ऐसा एनजीओ कहा जा सकता है जो पूरी तरह पारदर्शी है। देश का कोई भी इन्सान वैबसाइट को देखकर अपने मन के प्राय: सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है। ''चरेवेति-चरेवेति'' के वैदिक वचन को आत्मसात करके ये न थकता है न बिकता है। जो भी संविधान सम्मत है उसे सम्मान देना और जो इसके इतर है उस अपने प्रयासों से संविधान सम्मत बनाने के लिए बहुआयामी प्रयोग करना इसका स्वभाव है।

इस कारण समता आन्दोलन किसी का न दोस्त रह सका न ही इसे दुश्मन माना जा सकता है। यह समता आन्दोलन की एक बहुत बड़ी सफलता है। इस सफलता के बधाई आयोजन ''समता आन्दोलन स्थापना दिसव'' पखवाड़े के लिए देश का हर नागरिक सादर आमंत्रित है।

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in